दीनदयाल उपाध्याय
गोरखपुर विश्वविद्यालय
गोरखपुर–273009

Deen Dayal Upadhyaya
Gorakhpur University,
Gorakhpur-273009

(Accredited A++ by NAAC)

पत्रांक : सम्बद्धता / 2025 / 07 / 6948

दिनांक : 28 / 07 / 2025.

महत्वपूर्ण / समयवद्ध

सेवा में,

प्राचार्य / प्रबन्धक
समस्त महाविद्यालय
सम्बद्ध– दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर–273009

विषय– **उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक सत्र 2025–26 के लिए नये महाविद्यालयों / संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों / संस्थाओं में अतिरिक्त विषयों / पाठ्यक्रमों (बी0एड0 पाठ्यक्रम को छोड़कर) को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के ऑनलाइन निस्तारण हेतु समय–सारिणी के संबंध में।**

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनदेश संख्या– **आई / 1038204 / 2025 / 70–2099 / 28 / 2024 दिनांक 25.07.2025** का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त निर्देश हुआ है कि शैक्षिक सत्र 2025–26 हेतु निर्धारित उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बी0एड0 पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नये महाविद्यालयों / संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों / संस्थानों में स्नातक / स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों / पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने के लिए उक्त शासनादेश दिनांक– **09.10.2024, 27.12.2024, 17.02.2025, 01.04.2025, 02.04.2025, 07.04.2025 एवं 23.05.2025** के माध्यम से निर्गत समय–सारिणी में उच्च शिक्षा हित में निम्नवत् संशोधन किया जाता है:–

क्र0	कार्यवाही	निर्धारित समय–सीमा
1	विश्वविद्यालय में नये पाठ्यक्रमों हेतु अनापत्ति प्रस्ताव आनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि।	—
2	विश्वविद्यालय में आनलाइन जमा किये गये प्रस्तावों के भूमि सम्बन्धी अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराया जाना।	—
3	अनापत्ति आदेश आनलाइन निर्गत किया जाना।	—
4	आनलाइन अनापत्ति के संबंध में विश्वविद्यालय द्वार लिए गये निर्णय के विरुद्ध शासन में अपील करने की अंतिम तिथि।	—
5	शासन में अपील निस्तारित करने की अंतिम तिथि।	—
6	शासन द्वारा निस्तारित की गयी अनापत्ति अपीलों के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा अनापत्ति निर्गत किये जाने की अंतिम तिथि	**दिनांक 29 जुलाई, 2025 तक।**
7	निरीक्षण मण्डल का गठन।	**दिनांक 30 जुलाई, 2025 तक।** (1) अनापत्ति आदेश आनलाइन निर्गत होने के पश्चात संस्था द्वारा दिनांक **27 जुलाई, 2025** तक निरीक्षण मण्डल का गठन के संबंध में आवेदन किया जायेगा। (2) तद्‌परान्त विश्वविद्यालय द्वारा **30 जुलाई, 2025** तक निरीक्षण मण्डल का गठन कर लिया जायेगा।
8	निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या प्रस्तुत किया जाना।	**दिनांक 05 अगस्त, 2025 तक।**
9	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता आनलाइन प्रदान करने की अन्तिम तिथि।	**दिनांक 08 अगस्त, 2025 तक।**
10	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता के संबंध में लिये गये निर्णय के विरूद्ध शासन में अपील करने की अन्तिम तिथि।	**दिनांक 10 अगस्त, 2025 तक।**
11	शासन स्तर पर अपील निस्तारित करने की अन्तिम तिथि।	**दिनांक 25 अगस्त, 2025 तक।**

3– शासनादेश 09.10.2024, 27.12.2024, 17.02.2025, 01.04.2025, 02.04.2025, 07.04.2025 एवं 23.05.2025 के माध्यम से निर्गत शेष दिशा–निर्देश यथावत रहेंगे।

अतः समस्त सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक सत्र 2025–26 के लिए नये महाविद्यालयों / संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों / संस्थाओं में अतिरिक्त विषयों / पाठ्यक्रमों (बी0एड0 पाठ्यक्रम को छोड़कर) के संबंध में संशोधित समय–सारिणी के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक– शासनादेश की छायाप्रति।

भवदीय

(डी0के0 श्रीवास्तव)
कुलसचिव

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. **जिलाधिकारी, गोरखपुर / देवरिया / कुशीनगर** से अनुरोध है कि शासन द्वारा संशोधित समय–सारिणी से अवगत होने का कष्ट करें।
2. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
4. समन्वयक, आई0टी0सी0 सेल को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय वेबसाइट एवं समस्त महाविद्यालयों की लॉगइन में प्रदर्शित करने का कष्ट करें।
5. प्रभारी सचिव कुलपति, मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
6. वैय0 सहायक कुलसचिव।

कुलसचिव

महत्वपूर्ण

संख्या-I/1038204/2025/70-2099/28/2024

प्रेषक,

राम जन्म चौहान,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 25-07-2025

विषयः-उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिये नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों (बी0एड0 पाठ्यक्रम को छोड़कर) को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के ऑनलाइन निस्तारण हेतु समय-सारिणी।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0-1968/सत्तर-2-2024-16(11)/2017टी0सी0 दि0 09.10.2024, सं0-3261/सत्तर-2-2024-16(11)/2017टी0सी0 दि0 27.12.2024, सं0-I/881927/2025/70-2099/28/2024 दि0 17.02.2025, सं0-I/925497/2025/70-2099/ 28/2024 दि0 01.04.2025, सं0-I/930944/ 2025/70-2099/28/2024 दि0 07.04. 2025 एवं सं0-I/972141/2025/70-2099/28/2024 दि0 23.05.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शैक्षिक सत्र 2025-26 हेतु निर्धारित उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बी0एड0 पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/ पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने के लिए उक्त शासनादेश दिनांक 09.10.2024, 27.12.2024, 17.02.2025, 01.04.2025, 07.04.2025 एवं 23.05.2025 के माध्यम से निर्गत समय-सारिणी में उच्च शिक्षा हित में निम्नवत संशोधन किया जाता है:-

प्रभारी, अम्बद्धता
26.7.2025
26/7/25
3.3P

	कार्यवाही	समय-सीमा
1.	विश्वविद्यालय में नये पाठ्यक्रमों हेतु अनापत्ति प्रस्ताव ऑनलाइन जमा करने की अन्तिम तिथि।	---
2.	विश्वविद्यालय में ऑनलाइन जमा किये गये प्रस्तावों के भूमि संबंधी अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराया जाना।	---
3.	अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत किया जाना।	---
4.	ऑनलाइन अनापत्ति के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा लिये गये निर्णय के विरूद्ध शासन में अपील करने की अंतिम तिथि।	---
5.	शासन में अपील निस्तारित करने की अंतिम तिथि।	......
6.	शासन द्वारा निस्तारित की गयी अनापत्ति अपीलों के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा अनापत्ति निर्गत किये जाने की अन्तिम तिथि।	29 जुलाई, 2025
7.	निरीक्षण मण्डल का गठन।	दिनांक 30 जुलाई, 2025 तक। (1)अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत होने के पश्चात संस्था द्वारा दिनांक 27 जुलाई तक निरीक्षण मण्डल का गठन के संबंध में आवेदन किया जायेगा। (2) तदोपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा 30 जुलाई तक निरीक्षण मण्डल का गठन कर लिया जायेगा।
8.	निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या का प्रस्तुत किया जाना।	दिनांक 05 अगस्त, 2025 तक।
9.	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता ऑनलाइन प्रदान करने की अन्तिम तिथि।	दिनांक 08 अगस्त, 2025 तक।

10.	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता के संबंध में लिये गये निर्णय के विरूद्ध शासन में अपील करने की अन्तिम तिथि।	दिनांक 10 अगस्त, 2025 तक।
11.	शासन स्तर पर अपील निस्तारित करने की अन्तिम तिथि।	दिनांक 25 अगस्त, 2025 तक।

3- शासनादेश दिनांक 09.10.2024,27.12.2024, 17.02.2025, 01.04.2025, 07.04.2025 एवं 23.05.2025 के माध्यम से निर्गत शेष दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे। कृपया उक्त समय-सारिणी का प्रभावी निष्पादनसुनिश्चित कराने का कष्टकरें।

भवदीय.

Digitally signed by
RAM JANAM CHAUHAN
Date: 25-07-2025
19:41:54

(राम जनम चौहान)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव,अपर मुख्य सचिव,श्री कुलाधिपति,उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश।
3. समस्त कुलपति,राज्य विश्वविद्यालय,उ0प्र0।
4. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,उ0प्र0।
5. निदेशक,सूचना विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।
6. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,एन.आई.सी.,योजना भवन,लखनऊ को इस आशय से कि कृपया उक्त समय-सारिणी के अनुसार तत्काल पोर्टल पर अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
7. अपर सचिव,उच्च शिक्षा परिषद,इंदिरा भवन,लखनऊ को वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
8. निजी सचिव,अपर मुख्य सचिव,मा0 मुख्यमंत्री।
9. निजी सचिव,मा0 मंत्री जी,उच्च शिक्षा विभाग।
10. निजी सचिव,मा0 राज्य मंत्री जी,उच्च शिक्षा विभाग।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राजमन सरोज

(राजमन सरोज)

अनु सचिव।